संख्या:-20/2024/1056/78-1-2024-02आई0टी0/2024

प्रेषक,

अनिल कुमार सागर
प्रमुख सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक
यूपी इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड
लखनऊ।

आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-1 लखनऊ दिनाँकः 29 जून 2024

विषयः उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति-2020 (प्रथम संशोधन) के अन्तर्गत टेलीकॉम (5G/6G) के क्षेत्र में सेन्टर ऑफ एक्सीलेन्स की स्थापना के सम्बन्ध में।

महोदय,

प्रदेश सरकार द्वारा अधिसूचित उ0प्र0 स्टार्टअप नीति-2020 (प्रथम संशोधन) के अन्तर्गत राज्य में 8 स्टेट ऑफ आर्ट उत्कृष्टता के केन्द्रों की स्थापना किया जाना परिलक्षित है। आईआईटी रूड़की (सहारनपुर परिसर) द्वारा राज्य सरकार के सहयोग से टेलीकॉम (5G/6G) के क्षेत्र में सेन्टर ऑफ एक्सीलेन्स की स्थापना प्रस्तावित है।

2- विदित है भारतवर्ष में 5G का रोलआउट किया जा रहा है तथा दुनिया भर के शोधकर्ताओं ने अगली पीढ़ी के वायरलेस नेटवर्क के लिए नवाचार करना शुरू कर दिया है। 3जी0पी0पी0/3GPP मानकीकरण निकायों द्वारा 5G से परे 6G मानकों को लागू करने के लिए एक सांकेतिक समयसीमा 2030 के आसपास होने की सम्भावना है। एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था होने के परिदृश्य में उत्तर प्रदेश उन्नत वायरलेस तकनीक और इसके उपयोग के मामलों को विकसित करने में अग्रणी भूमिका निभाने के लिए तत्पर है। उत्तर प्रदेश को न केवल भारत में अपितु अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दूरसंचार प्रौद्योगिकी का ध्वजवाहक बनने के लिए 5G और उससे आगे की प्रौद्योगिकियों का चरणबद्ध विकास एवं उपयोग किये जाने की तत्काल आवश्यकता है।

3- यूपी स्टार्टअप नीति 2020 (प्रथम संशोधन) के तहत स्थापित किए जाने वाले प्रस्तावित उत्कृष्टता केन्द्रों का प्राथमिक उद्देश्य पूरे उत्तर प्रदेश में अगली पीढ़ी के वायरलेस संचार और प्रशिक्षण सुविधाओं के परीक्षण और विकास के लिए बुनियादी ढांचा प्रदान करना है। प्रस्तावित उत्कृष्टता केंद्र स्टार्टअप ईकोसिस्टम को सुदृढ़ता प्रदान करेंगे तथा अगली पीढ़ी के वायरलेस संचार के क्षेत्र में मेक-इन इंडिया के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सहायक होंगे।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

आईआटी रुड़की (सहारनपुर परिसर) के प्रस्ताव का विवरण

Name of Institute	**IIT Roorkee**
Floor Area committed	10,500 square feet
Location	Saharanpur Campus
Total Budget (in Cr.)	30.35
Demand from Government (in Cr.)	**10.00**
Contribution of Host Institute (in Cr.)	20.35
Existing Capabilities and Infrastructure	Saharanpur campus has the following existing facilities:- • Existing infrastructure (15000 sq ft specially for CoE) • Auditorium • Hostels • Classrooms • Medical facilities • Readily Available Mobile Tower
Support from other relevant organizations	Department of Telecommunication (DoT), Centre for Department of Telematics (CDOT), and Principle Scientific Advisor (PSA) to Prime Minister's Office, International Telecommunication Union (ITU, United Nations), Telecommunication Consultant India Limited (TCIL), India 6G Alliance, TRAI, BSNL, TCOE (Telecom Centre of Excellence), CEQU Labs Pvt. Ltd.
Deliverables	Specific deliverables along with timelines are promised as follows: • ML-based physical layer algorithms • Distributed ML/DL-based learning algorithms for wireless sensors and cellular networks. • FPGA or SDR - based implementation of machine learning • Sensor design and sensor deployment for smart city applications.

आईआईटी रूड़की (सहारनपुर परिसर) द्वारा स्थापित किये जाने वाले उत्कृष्टता के केन्द्र के लक्ष्यों का विवरण-

- आगामी पीढ़ी की वायरलेस तकनीक के क्षेत्र में अत्याधुनिक प्रशिक्षण (कम से कम 60 मैनपावर/वर्ष)
- स्टार्टअप्स के Handholding and Mentorship (प्रतिवर्ष कम से कम 25 स्टार्टअप्स)
- सम्बन्धित उद्योगों की सहायता से प्रौद्योगिकी का व्यावसायीकरण
- 5G और 6G संचार में बौद्धिक संपदा का सृजन और संरक्षण
- 5G और mm-wave संचार के लिये mmWave on-chip T/R Module का निर्माण
- V2X संचार के लिए sub-6Ghz और mmWave (24Ghz और 77Ghz) वाहन पर लगने वाले Anteena का निर्माण।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

आईआईटी रूडकी द्वारा उत्कृष्टता के केन्द्र की स्थापना हेतु होने वाले व्ययों का विवरण

(धनराशि रु करोड़ में)

Summary of Proposed budget for CoE in 5G/6G technology Submitted by IIT Roorkee

RELEASE OF FUNDS FOR DIFFERENT ACTIVITIES	TOTAL PER HEAD	GOVT.OF UP SHARE	IITR SHARE	First Year (Y1)	Second Year (Y2)	Third Year (Y3)	Fourth Year (Y4)	Fifth Year (Y5)
INFRA-STRUCTURE SETUP (CAPEX)	12.00	0.00	12.00	12.00 (IITR)	0.00	0.00	0.00	0.00
TECHNICAL EQUIPMENT (CAPEX)	9.35	7.85	1.50	9.35 (Go UP + IITR)	0.00	0.00	0.00	0.00
SALARIES FOR CENTER PERSONNEL (OPEX)	8.00	2.15	5.85	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60
DEVELOPMENT AND STANDARDI-ZATION OPERATIONAL COST (OPEX)	1.00	0.00	1.00	0.52	0.12	0.12	0.12	0.12
TOTAL	**30.35**	**10.00**	**20.35**	**23.47**	**1.72**	**1.72**	**1.72**	**1.72**

4- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उ0प्र0 स्टार्टअप नीति-2020 (प्रथम संशोधन) के अन्तर्गत प्रदेश में स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन तथा उद्यमिता के पोषण हेतु आईआईटी रुड़की (सहारनपुर परिसर) द्वारा टेलीकॉम (5G/6G) के क्षेत्र में सेन्टर ऑफ एक्सीलेन्स की स्थापना हेतु उत्कृष्टता के केन्द्र को उसकी स्थापना तिथि से 5 वर्ष की अवधि में, अनुदान के रूप में अधिकतम रु 10.00 करोड़ तक आर्थिक सहायता (जिसमें पूंजीगत तथा परिचालन व्यय सम्मिलित है) प्रदान की जायेगी तथा सेन्टर ऑफ एक्सीलेन्स को वित्तीय सहायता पर निहित व्यय-भार का वहन 'उ0प्र0 स्टार्टअप नीति-2020' के अन्तर्गत

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

अब्दुल कलाम प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय लखनऊ से प्राप्त धनराशि रु 30 करोड़ प्रतिवर्ष (05 वर्षों में कुल रु 150 करोड़) से बनाये गये कॉरपस फण्ड से किया जायेगा।

5- आईआईटी रुड़की (सहारनपुर परिसर) द्वारा स्थापित किये जाने वाले उपर्युक्त सेन्टर ऑफ एक्सीलेन्स हेतु वर्णित लक्ष्यों के अनुसार समयबद्ध रूप से अपने कार्यों का सम्पादन किया जाना भी सुनिश्चित किया जायेगा।

6- अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त की अध्यक्षता में गठित पीएमआईसी के मार्गदर्शन में सेन्टर ऑफ एक्सीलेन्स परियोजनाओं के अनुश्रवण हेतु performance indicators को परिभाषित किया जायेगा। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि उपर्युक्त सेन्टर आफ एक्सीलेन्स द्वारा पर्याप्त संख्या में स्टार्ट-अप को मेन्टरिंग सपोर्ट प्रदान किया जाय एवं स्टार्टअप को फण्डिंग भी उपलब्ध कराने हेतु प्रयास किया जाय।

7- उत्कृष्टता के केन्द्र को वित्तीय सहायता का संवितरण उनके कार्य-प्रदर्शन पर पीएमआईसी के निर्णय पर निर्भर होगा। प्रदेश सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली आर्थिक सहायता का उपयोग एवं उपभोग यथानिर्धारित समय-सारणी एवं उल्लिखित शर्तों के अनुरूप किया जायेगा। उत्कृष्टता का केन्द्र 5 वर्ष की अवधि समाप्त होने तक स्व-निर्भर हो जायेगा तथा इसके पश्चात केन्द्र को शासन से कोई आर्थिक सहायता उपलब्ध नहीं होगी।

8- प्रस्तावित उत्कृष्टता के केन्द्र द्वारा किये जा रहे कार्यों के अनुश्रवण हेतु नोडल संस्था-यूपी इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड कार्यरत है। आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उ0प्र0 शासन तथा नोडल संस्था-यूपीएलसी द्वारा अनुश्रवण किया जायेगा कि उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति-2020 (प्रथम संशोधन) के प्रस्तर-8.8 के अनुसार उत्कृष्टता के केन्द्र अपनी भूमिका का समुचित निर्वहन करेंगे। इसके अतिरिक्त उत्कृष्टता के केन्द्रों द्वारा किये जा रहे कार्यों का मार्गदर्शन प्रदान किये जाने के लिए नीति में अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त की अध्यक्षता में पीएमआईसी की व्यवस्था है। कार्यों के अनुश्रवण करने पर पीएमआईसी के मार्गदर्शन में उत्कृष्टता के केन्द्र को यथावश्यक निर्देश प्रदान किए जायेंगे।

कृपया उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,
अनिल कुमार सागर
प्रमुख सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या:-20/2024/1056(1)/78-1-2024 एवं तद्दिनांक

प्रतिलिपि:निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

(1) अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
(2) अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(3) अपर मुख्य सचिव, प्राविधिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(4) अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(5) स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
(6) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
नेहा जैन
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।